श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2017 को आयोजित अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक 23.11.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें महाप्रबंधक, पेसू/मुख्य महाप्रबंधक, बुडको/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं ब्रेडा के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे।

2. बैठक में जल संसाधन विभाग एवं प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण इन विभागों से संबंधित विषयों का अनुश्रवण एवं समन्वय नहीं हो पाया।

3. **बिहार राज्य जल पर्षद से संबंधित मुद्दे :–**

3.1 ट्रांसपोर्ट नगर, पटना के सम्प हाऊस के निर्माण हेतु विभाग द्वारा लगभग 05 माह पूर्व ही स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, लेकिन अभी तक बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि BOQ तैयार हो गया है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करा दिया जाएगा।

3.2 पिछली बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जीरो प्वाइंट, अशोक नगर में नाला जोड़ने का कार्य जून, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आज बैठक में मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि अभी कार्य अधूरा है।

इस संबंध में पिछले एक वर्ष से निदेशित किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यह चिंताजनक स्थिति है। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जनवरी, 2018 तक कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। निर्देश दिया गया कि समयसीमा के अंदर हर हालत में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय तथा निर्माण में यदि कहीं कोई समस्या हो तो कंकड़बाग अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण करके निराकरण करेंगे।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया जाता है कि यदि उक्त योजना का कार्य जनवरी, 2018 तक पूर्ण नहीं होता है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्य हेतु अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

3.3 सैदपुर नाला का दो alignment से कार्य कराया जाना है। एक alignment, जो प्रेमचंद रंगशाला से घूमकर जाना है, उसपर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि अविलंब कार्य प्रारंभ किया जाय।

4. **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

4.1 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभिन्न नगर निकायों के लिए 106 जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर हुए निर्णय के आलोक में प्राक्कलन के अनुसार सभी योजनाएं पूर्ण करके, संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करके चालू स्थिति में नगर निकाय को हस्तांतरित किया जाना है, लेकिन कई नगर निकायों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उन्हें अभी तक जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण नहीं हो पाया है और कई में अकार्यरत स्थिति में ही हस्तांतरण कर दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि योजना का हस्तांतरण केवल कार्यरत स्थिति में होगा। अपूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण नहीं होगा। नगर निकाय एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही हस्तांतरण होगा।

चूँकि उक्त सभी 106 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, लेकिन इन योजनाओं की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन भी नगर विकास एवं आवास विभाग को नहीं भेजा जाता है। बैठक में उपस्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि उक्त सभी 106 योजनाओं का प्रतिवेदन तीन भाग में विभाजित कर उपलब्ध कराएं। प्रमि भाग में वैसी योजनाएं, जिनका design period समाप्त हो गया है एवं दूसरे भाग में वैसी योजनाएं, जिनमें योजनाएं आंशिक रूप से चालू हैं तथा अंश भाग अकार्यरत है। तीसरे भाग में ongoing schemes का प्रतिवेदन दिया जाय। यह प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में ही भेजा जाय।

4.2 कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गय कि बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा एवं दानापुर के जलापूर्ति योजना के लिए पिछले वर्ष नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 50 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है एवं 50 प्रतिशत राशि अभी उपलब्ध कराया जाना शेष है।

निर्देश दिया गया कि संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करके प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित किया जाय तथा सभी योजनाओं में वार्डवार, रोडवार, लाभार्थी के नाम के साथ विवरणी तैयार करके संबंधित नगर निकाय को उपलब्ध कराते हुए नगर निकाय से संपुष्ट कराएंगे, जिसकी सूचना विभाग को भी देंगे।

5. <u>बुडको से संबंधित मुद्दे</u> :–

5.1 महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि सर्पेन्टाईन नाला एवं मंदिरी नाला का Draft DPR तैयार हो गया है।

निर्देश दिया गया कि सर्पेन्टाईन नाला एवं मंदिरी नाला का Draft DPR का PPT अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कराया जाय।

5.2 मुख्य महाप्रबंधक, बुडको को निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में अधिष्ठापित किये गये जिन स्ट्रीट लाईटों का अभी तक पटना नगर निगम को handover नहीं किया गया है और O&M Period समाप्त हो गया है, उसका निरीक्षण करके चालू हालत में पटना नगर निगम को शीघ्र handover कर दिया जाय।

5.3 महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि प्रकाश पर्व के समापन समारोह दिसम्बर, 2017 के मद्देनजर पटना साहिब क्षेत्र के खराब सभी स्ट्रीट लाईटों की मरम्मती करा दी गयी है और सभी लाईट कार्यरत हैं, जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दी गयी है।

निर्देश दिया गया सभी स्ट्रीट लाईटों की मरम्मति कराकर कार्यरत स्थिति में पटना नगर निगम को handover करने की कार्रवाई की जाय।

6. <u>बुडको से संबंधित मुद्दे</u> :–

6.1 बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि पटना शहर में विभिन्न फ्लाईओवरों के नीचे कई स्थानों पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा godown आदि का निर्माण किया गया है, जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है।

अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से अनुरोध है कि फ्लाईओवरों के नीचे निर्मित godown को हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करेंगे। फ्लाईओवरों के नीचे की जमीन का उपयोग वाहनों के पार्किंग हेतु किया जाय।

7. ब्रेडा से संबंधित मुद्दे :–

7.1 ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा पटना शहर में स्ट्रीट लाईट, जिनका हस्तांतरण अभी पटना नगर निगम को नहीं हो पाया है, उसकी मरम्मती के संबंध में बताया गया कि नगर निगम से लाईट खराब होने की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी मरम्मती ब्रेडा द्वारा करायी जाती है। निर्देश दिया गया कि जब तक स्ट्रीट लाईटों का हस्तांतरण पटना नगर निगम को नहीं हो जाता है, तब तक के लिए ब्रेडा द्वारा स्वयं नागरिकों से शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था की जाय।

इस संबंध में ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ब्रेडा का wing छोटा होने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। निर्देश दिया गया कि इस हेतु वे Third Party Agency को रख सकते हैं ताकि वे लाईटों का समय–समय पर inspection करके अवगत करा सके और उसकी ससमय मरम्मति हो सके।

8. डूडा–1 एवं 2, पटना से संबंधित मुद्दे :–

8.1 आशियाना–दीघा रोड के नाला निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना द्वारा बताया गया कि नाला का निर्माण cover के साथ कराया जा रहा है। यह भी बताया गया कि रोड के end से नाला के लिए जमीन की मापी नहीं की गयी है। नाला का निर्माण अभी लगभग 500 मीटर की लंबाई तक हो गया है।

निर्देश दिया गया कि शेष लंबाई में नाले के लिए रोड के end तक जमीन की मापी कराकर नाला का निर्माण कराया जाय ताकि जमीन खाली रहने की स्थिति में अतिक्रमण नहीं हो। रोड के end तक जमीन की मापी के क्रम में यदि कहीं अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाय। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि 3 महीने के अंदर नाला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

8.2 चाँदमारी रोड, पटना में डूडा–1 द्वारा निर्माण कराये जा रहे नाले के संबंध में पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि नाला का निर्माण गलत लेवलिंग से किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा–1 द्वारा बताया गया कि पटना नगर निगम के कनीय अभियंता के साथ स्थल निरीक्षण किया गया है, जिसमें लेवलिंग सही पाया गया है।

बैठक में बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त नाला के प्रारंभ में लगभग 300 फीट लंबाई में निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण आम नागरिकों को समस्याएं हो रही है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, डूडा–1 द्वारा बताया गया कि स्वीकृत योजना के अनुसार ही निर्माण कार्य हुआ है। निर्देश दिया गया कि नाला निर्माण हेतु छूटे हुए भाग में निर्माण के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

9. नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में 01 घंटा विलम्ब से उपस्थित हुए। पटना नगर निगम के अन्य अंचलों के कोई कार्यपालक पदाधिकारी या कोई अभियंता उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे पर विशेष चर्चा नहीं हो पायी।

10. बैठक से संबंधित अन्य मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी, अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/11/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7639 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/11/17

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7639 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/11/17

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/11/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7639 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/11/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in), पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/कार्यपालक अभियंता, डूडा–1, पटना/कार्यपालक अभियंता, डूडा–2, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग एवं प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से अनुरोध है कि बैठक में प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने की कृपा करेंगे।**

28/11/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 7639 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/11/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/अपर सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2017

प्रधान सचिव

अनुलग्नक–1

अन्य संबंधित मुद्दे, जिस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं रहने के कारण चर्चा नहीं हो पायी :–

जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

1. पटना शहर के गंगा प्रोटेक्शन वॉल में पिछले वर्ष मॉनसून के समय कुछ स्थानों यथा गंगा टॉवर के सामने, सदाकत आश्रम के निकट, गोसाईं टोला पम्पिंग स्टेशन के सामने तथा कुर्जी मोड़ के निकट sluice gate में लीकेज की समस्या हुई थी एवं गंगा नदी का पानी शहर में प्रवेश कर गया था।

   मुख्य महाप्रबंधक, बुडको द्वारा बताया गया कि वर्तमान में निर्मित गंगा सुरक्षा दीवार के क्षतिग्रस्त स्थानों पर आवश्यकतानुसार तत्काल मरम्मति कर ली गयी है। मॉनसून के पश्चात स्थायी तौर पर मरम्मति कर ली जाएगी।

2. मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय हुआ था कि बादशाही नाला का जो हिस्सा शहरी क्षेत्र में पड़ता है, उसे पटना नगर निगम/नगर परिषद, फुलवारी शरीफ द्वारा takeover कर लिया जाएगा।

पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे :–

1. मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 07.06.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय हुआ था कि मंदिरी नाला, बाकरगंज नाला एवं सर्पेन्टाईन नाला को छोड़कर पटना शहर के अन्य सभी नालों को cover करने का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
2. बेऊर मोड़ से न्यू बाईपास में 1200 मीटर की दूरी पर बाईपास के किनारे नाला है, जो कि चितकोहरा से आने वाले नाले को कनेक्ट करते हुए महावीर कॉलोनी को जोड़ता है। जानकारी प्राप्त हुई कि NHAI द्वारा सड़क चौड़ीकरण के क्रम में उक्त स्थान पर नाले को ही बंद कर दिया गया है, जिसके कारण चितकोहरा क्षेत्र में मॉनसून के समय जलजमाव होने की संभावना है।

प्रमंडलीय आयुक्त, पटना से संबंधित मुद्दे :–

1. ब्रेडा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हुआ था कि पटना स्मार्ट सिटी के तहत पटना शहर के 354 भवनों में roof of solar के अधिष्ठापन हेतु डी०पी०आर० तैयार कर ब्रेडा को उपलब्ध करा दी जाएगी।
2. कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि वैशाली के क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र के गंगा नदी बेसिन में अवैध निर्माण हो रहा है, जिसके संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के स्तर पर आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी, वैशाली को प्रतिवेदित किया गया था, लेकिन अभी भी अवैध निर्माण कार्य जारी है।

पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे :–

1. जोगीपुर नाला को ऊँचा करने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया कि एकल निविदा प्राप्त हुई थी, जिसकी पुनर्निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

2. पिछली बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि पैजामा अमरपुर में रेलवे द्वारा निर्माण के क्रम में नाले के चौड़ाई को कम करके बहाव को अवरूद्ध कर दिया गया है। उस नाले से 05 वार्डों के नाले के पानी का बहाव होता है।

निर्देश दिया गया था कि बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत DRM एवं Divisional Railway Cheif Engineer को नोटिस भेजकर निर्माण कार्य बंद कराया जाय एवं नाला को चौड़ा करने के संबंध में सूचित किया जाय।

3. दिनांक 07.06.2017 को मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय हुआ था कि यदि किसी भी विभाग अथवा organisation द्वारा storm drainage या sewerage या पुल का निर्माण किया जाता है तो निर्माण कराने से पूर्व पटना नगर निगम की अनापत्ति/सहमति लेना अनिवार्य होगा।